भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 9

सोमवार, 03 फरवरी, 2025 / 14 माघ, 1946 (शक)

कार्य के अधिकतम घंटों में वृद्धि करना

9. श्री राजमोहन उन्नीथन:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कॉरपोरेट नेताओं द्वारा कार्य के अधिकतम घंटों को बढ़ाकर सप्ताह में 70 या 90 घंटे करने के हाल के प्रस्तावों पर ध्यान दिया है और यदि हां, तो इस संबंध में सरकार के दृष्टिकोण सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) इस संदर्भ में कामगारों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए किन-किन उपायों पर विचार किया जा रहा है; और

(ग) सरकार द्वारा कामगारों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर कार्य के विस्तारित घंटों के संभावित प्रभाव के आकलन का ब्यौरा क्या है और कामगारों की भलाई को प्राथमिकता प्रदान करना किस प्रकार सुनिश्चित किया जाएगा?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ग): श्रम समवर्ती सूची के अंतर्गत आने वाला विषय है, इसलिए श्रम कानूनों का प्रवर्तन राज्य सरकारों और केंद्र सरकार द्वारा अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में किया जाता है। जबकि केंद्रीय क्षेत्र में प्रवर्तन केंद्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र (सीआईआरएम) के निरीक्षण अधिकारियों के माध्यम से किया जाता है, राज्य क्षेत्र में अनुपालन राज्य के श्रम प्रवर्तन तंत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है।

मौजूदा श्रम कानूनों के अनुसार, काम के घंटे और समयोपरि (ओवरटाइम) आदि सहित कार्यदशाओं को कारखाना अधिनियम, 1948 और संबंधित राज्य सरकारों के दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम के उपबंधों के माध्यम से विनियमित किया जाता है। कॉर्पोरेट क्षेत्र सहित अधिकांश प्रतिष्ठान दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम द्वारा नियंत्रित होते हैं, जिसके लिए उपयुक्त सरकार राज्य सरकार है।

अधिकतम कार्य घंटों को बढ़ाकर 70 या 90 घंटे प्रति सप्ताह करने का ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

*****